



॥ अ३३५ ॥

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार - 249404

(यू०जी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

GURUKULA KANGRI (DEEMED TO BE UNIVERSITY), HARIDWAR - 249404

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पत्रांक *Estt-D/DR/204*

दिनांक : *14/06/2023*

कार्यालय आदेश

आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की 11 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आदेशानुसार समविश्वविद्यालय के समस्त स्थायी शिक्षक/शिक्षिकाओं को सूचित किया जाता है कि शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा प्रतिवर्ष भरे जाने वाले Annual Self-Appraisal (ASA) Proforma के साथ "Proforma for submitting the information on classes taught by the teachers" को भी संलग्न कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है (प्रारूप संलग्न)। अतः समस्त शिक्षक/शिक्षिकाएँ दिनांक 05.07.2023 तक ASA एवं "Proforma for submitting the information on classes taught by the teachers" प्रारूप को समविश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर आई०क्यू०ए०सी० कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। पूर्व में दिनांक 21.10.2022 को जारी कार्यालय आदेश के आलोक में सभी शिक्षकों/शिक्षिकाओं से आग्रह है कि Scopus/UGC Care Listed Research Journals में अधिकारिक शोध पत्र प्रकाशन, बुक चैप्टर, शोध ग्रन्थ लेखन, पेटेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट आदि शोध कार्य में संस्था व व्यक्तिगत हित एवं प्रतिष्ठा निमित्त कोई न्यूनता या क्षीणता नहीं आ पाये।

[Signature]
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. मा० कुलपति जी
2. निदेशक, आई०क्यू०ए०सी०
3. कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार/देहरादून
4. समस्त संकायाध्यक्ष
5. समस्त विभागाध्यक्ष
6. समस्त प्रभारी विभागाध्यक्ष
7. समविश्वविद्यालय वेबसाइट
8. कुलसचिव कार्यालय

[Signature]
कुलसचिव